न्यायालय जिला कलक्टर, बीकानेर
बइजलास कुमार पाल गौतम, आई.ए.एस. जिला कलक्टर, बीकानेर

मुकदमा संख्या 07/19 उपनिवेशन विविध

1. हेतराम 2. शिवकरण 3. अर्जनराम 4. जगदीश 5. रेंवतराम पिसरान रामूराम पुत्र खुमाणाराम जाति मेघवाल साकिन मनोहरिया तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर।
6. खुखराम 7. पुरखाराम 8. सीताराम 9. पालाराम पिसरान रावताराम पुत्र खुमाणाराम जाति मेघवाल साकिन मनोहरिया तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर।

—प्रार्थीगण

: ब ना म :

1. मानाराम पुत्र खुमाणाराम जाति मेघवाल साकिन मनोहरिया तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर।
2. राजस्थान सरकार

—अप्रार्थीगण

उपस्थितिः—

1. श्री विजय पारीक अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री निर्मल तंवर अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1

अन्तर्गत नियम 22(3) राजस्थान उपनिवेशन
(इ.गा.न.प. क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम,1975

न्यायालय जिला कलेक्टर बीकानेर [राज.]

: आदेश :

दिनांक 15.10.19

1. प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र आवंटन अधिकारी एवं सहायक उपनिवेशन आयुक्त, लूणकरणसर के आदेश दिनांक 04.12.76 एवं 14.12.76के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि आवंटन अधिकारी ने चक 196 आर.डी. का मु.नं. 121/50 किला नं. 4,5,7 ता9, 11 ता 14 व 17 ता 20 कुल 12 बीघा 10 बिस्वा कमाण्ड भूमि बिना सलाहकार समिति की राय से नियम विरूद्ध आवंटन किया है जो निरस्त योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आवंटन आदेश निरस्त फरमावे।

2. अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से उनके अधिवक्ता श्री निर्मल तंवर ने उपस्थित आकर जवाब पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी।

3. तदन्तर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

जिला कलक्टर, बीकानेर

4. प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के बिन्दूओ को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी ने बिना प्रार्थना पत्र आमंत्रित हुए दिनांक 03.06.76 को आवंटन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र में पिता के नाम से खारिज रकबे में से भूमि चाही गयी। आवंटन अधिकारी ने बिना तहसील की रिपोर्ट लिये, बिना राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किए, बिना किसी प्रावधानो के अप्रार्थी को भूमि का आवंटन कर दिया गया। अप्रार्थी ने स्वयं की भूमि का कब इस्तीफा दिया, इस्तीफा कब मंजूर हुआ स्पष्ट नहीं है। यह भी स्पष्ट नहीं था कि पिता की भूमि कौनसी थी। अगर पिता की सरप्लस भूमि होती तो वह नियम 13(5) बी में आवंटित होती जो सभी बालिग पुत्रो को मिलती। भूमि सन् 1984 में सरप्लस हुई थी। इसलिए 1976 में आवंटन नहीं की जा सकती थी। अप्रार्थी के पिता के धारण में भी 156 बीघा भूमि थी। अप्रार्थी के हिस्से में54.5 बीघा बनती थी इस कारण भी अप्रार्थी भूमि आवंटन का पात्र नहीं था। अपनी बहस के समर्थन में आर आर डी 1983 पेज 15, आरआरडी 1985 पेज 169, आरआरडी 14410 पेज 197, 201, 203 तथा आवंटन नियमो की प्रतियां प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी को आवंटन अधिकारी द्वारा नियम विरूद्ध आवंटन किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आवंटन खारिज फरमाया जावे।

5. अप्रार्थी के अधिवक्ता की बहस है कि अप्रार्थी को आवंटन नियमानुसार हुआ है। आवंटन में किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं की गयी है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संधारण योग्य नहीं है क्योंकि उपरोक्त वादगत भूमि से सम्बन्धित निगरानी सं. 6503/18 माननीय राजस्व मण्डल, अजमेंर में विचाराधीन है। माननीय न्यायालय ने दिनांक 02.05.19 को निगरानी अडॉप्ट कर स्थगन आदेश जारी किया है जो आज भी प्रभाव में है। स्थगन आदेश के प्रभावशील रहते हुए माननीय न्यायालय द्वारा कोई कार्यवाही नही की जा सकती। प्रार्थीगण ने राजस्व मण्डल मे विचाराधीन निगरानी के तथ्यो को छुपाकर प्रार्थना पत्र पेश किया है। आवंटन आदेश के 43 वर्ष पश्चात नियम 22(9) के तहत कार्यवाही नहीं की जा सकती। प्रकरण मियाद अधिनियम के आर्टिकल 137 से बाधित है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जावे।

6. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अप्रार्थी की बहस एवं प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार उपरोक्त भूमि से सम्बन्धित निगरानी सं. 6503/2018 माननीय राजस्व मण्डल अजमेंर में लम्बित है जिसमें स्थगन आदेश प्रभावशील है व आगामी पेशी 19.12.19 नियत है। चूंकि उक्त वादगत भूमि से सम्बन्धित निगरानी माननीय राजस्व मण्डल, अजमेंर में विचाराधीन होने के कारण इस प्रकरण में किसी प्रकार का आदेश पारित करना हम न्यायोचित नहीं पाते है।

7. उपर्युक्त विवेचन के परिपेक्ष्य में प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है। मूल आवंटन पत्रावली प्रभारी अधिकारी रेकार्ड शाखा को आदेश की प्रति के साथ भिजवायी जावे।

8. आदेश आज दिनांक **15.10.2019** को हमारे द्वारा लिखाया जा कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुमार पाल गौतम)
जिला कलक्टर, बीकानेर
जिला कलक्टर, बीकानेर